भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2316

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941(शक)

कम मजदूरी वाले रोजगार

2316. श्री बालू भाऊ धनोरकर उर्फ सुरेश नारायण:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कम मजदूरी वाले रोजगार को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारें अपने-अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित रोजगार में नियोजित कामगारों की न्यूनतम मजदूरी नियत करने, समीक्षा करने तथा परिशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में निर्धारित दरें केन्द्रीय सरकार के प्राधिकरण के अधीन प्रतिष्ठानों, रेल प्रशासन, खानों, तेल-क्षेत्रों, मुख्य पत्तन या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी निगम पर लागू हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के लिए अनुसूचित रोजगार से इतर रोजगार राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है तथा तदनुसार राज्य सरकार की मजदूरियां इन रोजगारों पर लागू होती हैं।

एक-समान मजदूरी संरचना की ओर एक कदम के रूप में, सरकार द्वारा गैर-सांविधिक उपाय के रूप में 1996 में राष्ट्रीय तल स्तरीय न्यूनतम मजदूरी (एनएफएलएमडब्ल्यू) लागू की गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए इसे समय-समय पर परिशोधित किया जाता है। एनएफएलएमडब्ल्यू को 01.06.2017 से 160/- रुपये से परिशोधित करके 176/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी का नियतन और परिशोधन करें।

******